प्रेषक,

वित्त नियन्त्रक,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग,
मथुरा/महराजगंज/मेरठ/गाजियाबाद/हापुड/औरैया/बिजनौर/आगरा/देवरिया/इटावा/जौनपुर/बॉदा/अम्बेडकरनगर/बाराबंकी/बरेली/फतेहपुर/अलीगढ/हरदोई/बागपत/उन्नाव/बदायूँ/बुलन्दशहर/फर्रूखाबाद/कौशाम्बी/फिरोजाबाद/लखीमपुर-खीरी/कानपुर-देहात/गौतमबुद्धनगर/पीलीभीत ।

संख्या- /बजट/29(5)/अनु0-11/02/2018-19 दिनांक 22-10-18

वषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पशुपालन विभाग की परियोजनाओं के संचालन हेतु धनराशि का आॅवटन ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश सं0-774/12-3-2018-100(58)/2017,दिनांक 28 अगस्त, 2018 द्वारा (Construction of LEO Centers) के अन्तर्गत मानक मद 24-बृहत् निर्माण कार्य में रू0 23026000.00 (रूपये दो करोड तीस लाख छब्बीस हजार मात्र) की प्राप्त स्वीकृति के आधार पर पशुपालन विभाग के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं के लिए निदेशक,प्रशासन एवं विकास के पत्र सं0-854/सा0-एक/एक्स-84(670)RKVY-LEO/2017-18,दिनांक 17-10-2018 द्वारा दिये गये प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए योजना के सफल संचालन हेतु Alloment Grid Report में उल्लिखित धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपको आॅवटित की जाती है। शर्तो से विचलन की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें ।

(1) आॅवटित की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जाएगा तथा पूर्व में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही प्रश्नगत धनराशि व्यय की जायेगी ।

(2) आॅवटित की जा रही धनराशि का आॅवटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। केन्द्र पोषित,बाह्य सहयातित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिसमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार (Cash or Kind) की सब्सिडी/सहायक अनुदान (गैरवेतन) दिया जाना है। ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शा0सं0-3497/12-3-2012-100(70)/2012,दि0 7-11-2012 के अनुपालन में मा0 मुख्यमंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय ।

(3) आॅवटित की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित एस. एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाईन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाये तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जाये जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जाये और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जाये।यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध कराई जाये। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप ही किया जायेगा।

(4) योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जाया। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिर्पोट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी साथ ही बिदेशक,पशुपालन विभाग,उ0प्र0 द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो ।

(5) ऑवटित की जा रही धनराशि से सम्भावित व्यय की फेजिंग,कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय। जहाँ तक सम्भव हो,व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय ऑवटित धनराशि का आहरण एकमुश्त न किया जाय क्योकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड प्रबन्धन(कैश. मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है तथा अनावश्यक रूप से बैकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है। शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर कोई भी धनराशि बैंक खाते में नही रखी जायेगी यदि ऐसा प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है तो इसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(6) ऑवटित की जा रही धनराशि के व्यय पर नियन्त्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6-6-1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ०प्र०बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डडर्स ऑफ फाइनेंन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(7) आहरण वितरण अधिकारी ऑवटित धनराशि से जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित किया जाय। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइड पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना के कार्यों की पूर्णता का पूरा विवरण नोडल अधिकारी, मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय ।

(8) वित्त लेखानुभाग-1 के शासनादेश सं0-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी0सी0-11,दि0 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे केडिट किये जाने के निर्देश दिये गये है।अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र सं0-1-11011/58/2013-डी.बी.टी.,दि0 25-2-2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर(डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अतः ऑवटित धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाये ।

(9) ऑवटित धनराशि का समय पर सदुपयोग एवं उपभोग आगामी समय-सारिणी बनाकर सुनिश्चित कराया जायेगा।

(10) उक्त ऑवटित धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास,पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ का होगा ।

(11) योजनान्तर्गत उपरोक्त ऑवटित धनराशि के सापेक्ष निदेशक,प्रशासन एवं विकास ने अपने पत्र सं0-854/सा0-एक/एक्स-84(670)RKVY-LEO/2017-18,दि0 17-10-2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में 60 पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु पशुधन अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-2901/सैंतीस-2-2018-30(57)/2017, दिनांक 11-10-2018 द्वारा 60 'द'-श्रेणी पशु औषधालय/पशु सेवा केन्द्रों का चयन करते हुए निर्माण हेतु उ0प्र0प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

(12) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-11 के अधीन लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0205-पशुपालन की योजनाएँ-24-बृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

(13) ऑवटित की जा रही धनराशि की प्रविष्टि ऑवटन पंजिका के कम संख्या-02(अनुदान-11) पर अंकित कर ली गई है ।

संलग्नक: यथोपरि ।

भवदीय,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक।

संख्या- 846 /बजट/29(5)/अनु0-11/02/2018-19,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, मथुरा/महराजगंज/मेरठ/गाजियाबाद/हापुड/औरैया/बिजनौर/आगरा/देवरिया/इटावा/जौनपुर/बाँदा/अम्बेडकरनगर/बाराबंकी/बरेली/फतेहपुर/अलीगढ/हरदोई/बागपत/उन्नाव/बदायूँ/बुलन्दशहर/फर्रूखाबाद/कौशाम्बी/फिरोजाबाद/लखीमपुर-खीरी/कानपुर-देहात/गौतमबुद्धनगर/पीलीभीत ।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-1)/लेखानुभाग,उ0प्र0, इलाहाबाद ।

(3) अनुसचिव,उत्तर प्रदेश शासन, कृषि अनुभाग-3,सचिवालय,लखनऊ ।

(4) अनुसचिव,पशुधन अनुभाग-2,उ0प्र0शासन, सचिवालय,लखनऊ ।

(5) निदेशक, प्रशासन एवं विकास,पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ ।

(6) योजनाधिकारी संयुक्त निदेशक,(रो0नि0),मुख्यालय को निदेशक,प्रशासन एवं विकास पत्र सं0-854/सा0-एक/एक्स-84 (670)RKVY-LEO/2017-18,दि0 17-10-2018 के क्रम में दिये गये आवंटन प्रस्ताव के अनुसार धनराशि का आँवटन संबंधित को किया जा रहा है। कृपया व्यय/कार्यदायी संस्था/अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित आ0वि0अधिकारी को अपने स्तर से देने का कष्ट करें तथा व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(7) योजनाधिकारी नोडल अधिकारी,राष्ट्रीय कृषि विकास योजना,मुख्यालय ।

(8) संयुक्त निदेशक (नियोजन), मुख्यालय ।

(9) कम्प्यूटर आपरेटर,मु0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आँवटन को विभागीय वेवसाइड पर फीड करने का कष्ट करें ।

(10) व्यय सहायक, बजट अनुभाग, मुख्यालय ।

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक।

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-22/10/2018

प्रेषण संख्या:- 846
आवंटन आदेश संख्या:- 001-29-5-ANU-11-4401-RKVY-2018-19
अनुदान संख्या:- 11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4401 - फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

800 - अन्य व्यय
02 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)
05 - पशु पालन की पूंजीगत योजनायें (के.60/रा.40-के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	मेरठ-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	766000 766000	766000 766000
2	बुलन्दशहर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	766000 766000	766000 766000
3	अलीगढ-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	766000 766000	766000 766000
4	मथुरा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	383000 383000	383000 383000
5	आगरा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी ,	वर्तमान प्रगामी	766000 766000	766000 766000
6	बरेली-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	1149000 1149000	1149000 1149000
7	बिजनौर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	383000 383000	383000 383000
8	बदायूं-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	383000 383000	383000 383000
9	पीलीभीत-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	383000 383000	383000 383000
10	फर्रुखाबाद-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	383000 383000	383000 383000
11	इटावा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	2681000 2681000	2681000 2681000
12	फतेहपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	383000 383000	383000 383000
13	बांदा -2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	766000 766000	766000 766000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
14	जौनपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	766000 766000	766000 766000
15	देवरिया-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	2298000 2298000	2298000 2298000
16	उन्नाव-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	766000 766000	766000 766000
17	हरदोई-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	383000 383000	383000 383000
18	लखीमपुर खीरी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	383000 383000	383000 383000
19	बाराबंकी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	766000 766000	766000 766000
20	गाजियाबाद-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	383000 383000	383000 383000
21	कानपुर देहात-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	1149000 1149000	1149000 1149000
22	फिरोजाबाद-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	2727000 2727000	2727000 2727000
23	महाराजगंज-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	383000 383000	383000 383000
24	अम्बेदकर नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	766000 766000	766000 766000
25	गौतमबुद्ध नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	383000 383000	383000 383000
26	औरैया-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	766000 766000	766000 766000
27	कौशाम्बी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	383000 383000	383000 383000
28	बागपत-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	383000 383000	383000 383000
29	हापुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	383000 383000	383000 383000
	योग	वर्तमान प्रगामी	23026000 23026000	23026000 23026000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ तीस लाख छब्बीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ तीस लाख छब्बीस हजार

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक